दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway

मुख्यालय कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004
HEAD QUARTER PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004

सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/पे & अलावनसेस/ 30/7307 दिनांक:-10.10.2018

प्रति,
सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.-289/2018

विषय:-Payment of Productivity Linked Bonus to all eligible non-gazetted Railway employees for the financial year 2017-18.

रेल्वे बोर्ड के पत्र सं. E(P&A)II-2018/PLB-3 दिनांक 10.10.2018, RBE No. 154/2018 की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है।

उपरोक्त नियम दपूमरे की अधिकारिक वेब-साइट http://www.secr.indianrailways.gov.in एवं CPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-

Web-site-

Home page—About us—Department—Personnel—Estt. Rules.

Share Folder-

Home page—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त.

(हफिज मोहम्मद)
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (एच.क्यू.)
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

E/R No. - 289/2018

RBE No.154/2018.

No. E(P&A)II-2018/PLB-3

New Delhi, dated : 10.10.2018.

The General Managers/CAOs,
All Indian Railways & Production Units etc.

Subject : Payment of Productivity Linked Bonus to all eligible non-gazetted Railway employees for the financial year 2017-18.

*****

The President is pleased to sanction Productivity Linked Bonus (PLB) equivalent to **78 (Seventy Eight)** days wages without any ceiling on wages for eligibility for the financial year 2017-18 to all eligible non-gazetted Railway employees (excluding all RPF/RPSF personnel). Where, wages exceed ₹ 7000/- per month, Productivity Linked Bonus will be calculated as if the 'wages' are ₹ 7000/- p.m.

2. 'Wages' for the purpose of calculating Productivity Linked Bonus shall include 'Basic pay' as defined in the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016 and dearness allowance drawn during the financial year 2017-18. Other conditions of eligibility, method of calculation of wages, etc., as prescribed in this Ministry's instructions and clarifications issued from time to time, shall remain unchanged.

3. It has also been decided that in the case of eligible employees mentioned in Para 1 above who were not placed under suspension, or had not quit service/retired/expired during the financial year 2017-18 or were on leave where leave salary admissible is not less than that admissible on leave on average pay, may be paid an amount of ₹ **17,951/-** towards Productivity Linked Bonus for the financial year 2017-18. In the case of employees other than those mentioned above, the amount of Productivity Linked Bonus may be calculated in accordance with the extant instructions on the subject.

4. Further, in relaxation to the provisions in Rules 905(2), 908 and 909 of State Railway Provident Fund Rules, as contained in Chapter 9 of R-I/1985 edition (2003 Reprint edition), such of the subscribers to the SRPF as are entitled to Productivity Linked Bonus may, if they so desire, deposit the whole or part of the amount admissible under the Scheme in their respective State Railway Provident Fund Accounts.

5. Disbursement of Productivity Linked Bonus for the financial year 2017-18 to all eligible non-gazetted Railway employees mentioned in Para 1 above should be made on priority in the same mode as payment of salary before the ensuing Puja/Dussehra holidays.

6. This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(N.P. Singh)
Joint Director/Estt.(P&A)
Railway Board.

Contd......2/-

289/18
P/2

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आर.बी.ई सं.154/ 2018
सं. ई(पी.एंड ए.)II-2018/पी.एल.बी.-3 **नई दिल्ली, दि. 10.10.2018**

महाप्रबंधक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
<u>सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां आदि।</u>

विषय : वित्त वर्ष 2017-18 के लिए सभी पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों को उत्पादकता संबद्ध बोनस का भुगतान।

*****

राष्ट्रपति जी सभी पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को, (रेलवे सुरक्षा बल/ रेलवे सुरक्षा विशेष बल के सभी कर्मचारियों को छोड़कर) पात्रता के लिए मजूरी की बिना किसी सीमा के, वित्त वर्ष 2017-18 हेतु 78 **(अठहत्तर)** दिनों की मजूरी के बराबर उत्पादकता संबद्ध बोनस के भुगतान की स्वीकृति देते हैं। जहाँ मजूरी ₹7000/- (सात हजार रुपये) प्रतिमाह से अधिक है, वहाॅ उत्पादकता संबद्ध बोनस की गणना इस प्रकार की जाएगी मानो मजूरी ₹7000/- (सात हजार रुपये) प्रतिमाह ही है।

2. उत्पादकता संबद्ध बोनस के प्रयोजन के लिए वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान ली गई 'मजूरी' में रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 में यथा परिभाषित 'मूल वेतन' तथा मंहगाई भत्ता शामिल होगा। इस मंत्रालय के समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और स्पष्टीकरण में यथानिर्धारित पात्रता की अन्य शर्तें, मजूरी का परिकलन करने का तरीका आदि, अपरिवर्तनीय रहेगी।

3. यह भी विनिश्चय किया गया है कि उपरोक्त पैरा 1 में पात्र कर्मचारियों के मामले में जो निलंबित नहीं हुए थे या जिन्होंने वित्त वर्ष 2017-18 के बीच में सेवा नहीं छोड़ी थी/ सेवानिवृत्त नहीं हुए थे/ मृत्यु नहीं हुई थी या ऐसी छुट्टी पर थे जब अनुमेय छुट्टी वेतन, औसत वेतन छुट्टी के दौरान अनुमेय वेतन से कम न हो, को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए उत्पादकता संबद्ध बोनस के रुप में **₹17,951/-** की राशि का भुगतान किया जाए। ऊपर लिखित कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों के मामले में उत्पादकता संबद्ध बोनस की राशि की गणना विषय पर विद्यमान अनुदेशों के अनुसार की जाए।

4. इसके अतिरिक्त भारतीय रेल स्थापाना संहिता, वाल्यूम-1/संस्करण 1985 (पुर्नमुद्रित संस्करण 2003) के अध्याय 9 में यथोल्लिखित रा.रे.भ.नि. नियमों के नियम 905(2), 908 और 909 में उल्लिखित प्रावधानों में छूट देते हुए, रा.रे.भ.नि. के वे अंशदाता, जो उत्पादकता संबद्ध बोनस पाने के पात्र है, यदि चाहें तो अपने राज्य रेल भविष्य निधि लेखे में, योजना के अंतर्गत स्वीकार्य पूर्ण अथवा आंशिक राशि जमा करा सकते हैं।

5. उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित सभी पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए उत्पादकता संबद्ध बोनस का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर पूजा/ दशहरा छुट्टियों से पहले किया जाना चाहिए, जिस प्रकार वेतन का भुगतान किया जाता है।

6. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(एन. पी. सिंह)
संयुक्त निदेशक/स्था.(वे. एवं भ.)
रेलवे बोर्ड

क्रमश: 2/-